न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 307 / 2016

उनवान

1. गीता उर्फ प्रेम पुत्री मांगी लाल ढोली पत्नी भगवान लाल ढोली निवासी आशाहोली हाल खूंटिया , तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कंकू पुत्री मोती लाल ढोली पत्नि गणपत लाल ढोली निवासी लाम्बिया खुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती लाली देवी पत्नी गणेश नायक, निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के प्रकरण संख्या 78 / 2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.9.2011

अभिभाषक : 1. श्री राकेश सुराणा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 27.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वांदी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के हक अधिकारों एवं कब्जेकाश्त की आराजियात ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1065/8 रकबा 5 बीघा है। जिसका अंकन राजस्व खाता संख्या 168 में है। जमाबंदी संवत 2042 से 2045 प्रस्तुत है। वादिया के परिवार का सजरा निम्न है:–

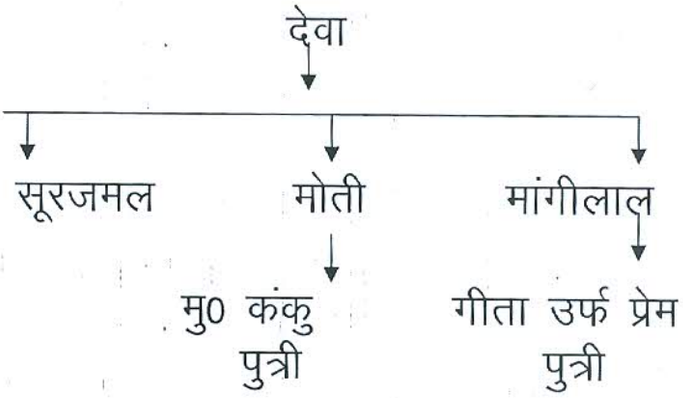

2. वादिया के पिता मांगीलाल जी की मृत्यु मूल पुरूष देवा जी की मृत्यु से पूर्व हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया । प्रमाण में नामान्तरकरण की नकल संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोती ग्राम कालुखेडा निवासी नोला आत्मज घीसा ढोली के मूल पुरूष देवा के जीवनकाल में ही गोद चल गया तथा विरासत से गोद पिता नोला की पत्नि सजनी के फौत हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोती जी के नाम पर नामान्तरकरण खुल गया । प्रमाण में नामान्तरकरण की नकल एवं जमाबंदी संवत 2033 से 2036 की नकल जिसमें नोला ढोली के फौत हो जाने के पश्चात विधवा सजनी व जमाबंदी संवत 2037 से 2040 तक जिसमें सजनी बेवा नोला फौत के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोती का इन्तकाल खोला गया जिससे साफ जाहिर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होता है कि मूल पुरूष देवा की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। मूल पुरूष द्वारा छोडी गई आराजियात में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 का ही हक अधिकार है। परन्तु देवा का नाम खाते में होने से तथा देवा की मृत्यु हो जाने से तथा देवा की एक ही वारिस कंकू जीवित होने से प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बना दाद चाही गई है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की आराजियात प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दी है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 अपना हिस्सा बेचकर वादिया का हिस्सा जो वर्तमान में खाते में मोती के नाम से दर्ज रेकार्ड है को अपने नाम हस्तान्तरित कराने का प्रयास कर रहा है। मूल पुरूष देवा के तीन पुत्र होने एक पुत्र मोती देवा के जीवन काल में गोद चले जाने तथा एक पुत्र मांगीलाल जो वादिया के पिता है की मृत्यु मूल पुरूष के पूर्व हो जाने से मूल पुरूष द्वारा छोडी गई भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा रहता है। इसी अनुसार वादिया का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्से पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। दौराने सेटलमेण्ट पुरानी आराजी खसरा संख्या 1065/8 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 1463 रकबा 0.95 हेक्टेयर 1464 रकबा 0.13 हेक्टेयर कायम हुए है। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल व चालू जमाबंदी प्रस्तुत है। चालू जमाबंदी में वादिया का नाम नहीं होने से व मोती के गोद चले जाने से प्रतिवादी संख्या 1 सम्पूर्ण खाते को अपने नाम करवाना चाहता है । जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सजरे के अनुसार मूल पुरूष देवा द्वारा छोडी गई जायदाद में वादिया का 1/2 हिस्सा निहित है तथा 1/2 हिस्से की वादिया खातेदार काश्तकार घोषित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कराने की व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने की अधिकारीणी है। अतः वाद पत्र स्वीकार कर वादिया को वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित की जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अंपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधिवक्ता अपीलार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी/वादी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि मूल पुरूष देवा के तीन पुत्र थे। पहला सूरजमल, दूसरा मोती एवं तीसरा मांगी लाल । एक पुत्र मोती देवा के जीवन काल में गोद चले जाने तथा सूरजमल द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3/प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिये जाने से एक पुत्र मांगीलाल जो वादिया के पिता है की मृत्यु मूल पुरूष के पूर्व हो जाने से मूल पुरूष द्वारा छोडी गई भूमि में अपीलार्थीया/वादिया व प्रत्यर्थी संख्या 2 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा रहता है। इसी अनुसार वादिया का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्से पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। दौराने सेटलमेण्ट पुरानी आराजी खसरा संख्या 1065/8 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 1463 रकबा 0.95 हेक्टेयर 1464 रकबा 0.13 हेक्टेयर कायम हुए है। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल व चालू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जमाबंदी प्रस्तुत है। देवा जी की मृत्यु होने से विरासत से नामान्तरकरण सूरजमल व अपीलार्थीया के नाम खुलना चाहिये था मगर सूरजमल व मोतीलाल के नाम खोला गया, जबकि मोतीलाल का कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलार्थीया मांगीलाल की पुत्री होने से वारिस होकर हक अधिकार रखती है। चालू जमाबंदी में वादिया का नाम नहीं होने से व मोती के गोद चले जाने से प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 2 सम्पूर्ण खाते को अपने नाम करवाना चाहती है । जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सजरे के अनुसार मूल पुरूष देवा द्वारा छोडी गई जायदाद में वादिया का 1/2 हिस्सा निहित है तथा 1/2 हिस्से की वादिया खातेदार काश्तकार घोषित कराने की व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने की अधिकारीणी है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोती ग्राम कालुखेडा निवासी नोला आत्मज घीसा ढोली के मूल पुरूष देवा के जीवनकाल में ही गोद चल गया तथा विरासत से गोद पिता नोला की पत्नि सजनी के फौत हो जने पर प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोती जी के नाम पर नामान्तरकरण खुल गया । प्रमाण में नामान्तरकरण की नकल एवं जमाबंदी संवत 2033 से 2036 की नकल जिसमें नोला ढोली के फौत हो जाने के पश्चात विधवा सजनी व जमाबंदी संवत 2037 से 2040 तक जिसमें सजनी बेवा नोला फौत के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोती का इन्तकाल खोला गया जिससे साफ जाहिर होता है कि मूल पुरूष देवा की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 2/प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। जब प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का भी कोई अधिकार नहीं रहा है तो प्रतिवादी संख्या 2/प्रत्यर्थी संख्या 1 भी अपने पिता के हिस्से में आई भूमि में ही अपना हक अधिकार रखती है । उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीया/वादिया ने साक्ष्य सबूत से बखूबी साबित कराया है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया/वादिया का वाद यह अंकित करते हुए खारिज किया कि वादिया द्वारा चाही गई विशिष्ट भूमि के लिए विशिष्ट रूप से समुचित आधार बनाकर वाद पेश करे। जबकि वादिया ने अपना पक्ष बखूबी से साबित किया है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीया की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादग्रस्त ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1065/8 रकबा 5 बीघा है। जिसका अंकन राजस्व खाता संख्या 168 में है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1005 द्वारा देवा की विरासत का इंतकाल सूरजमल व मोती के नाम खोला गया है। दौराने सेटलमेण्ट उक्त पुरानी आराजी खसरा संख्या 1065/8 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 1463 रकबा 0.95 हेक्टेयर 1464 रकबा 0.13 हेक्टेयर कायम हुए है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार मूल पुरूष देवा जी थे। जिनके तीन पुत्र क्रमशः सूरजमल, मोतीलाल एवं मांगीलाल थे। इनमें से एक पुत्र मोती अपने पिता ग्राम कालुखेड़ा निवासी नोला आत्मज घीसा ढोली के यहॉ मूल पुरूष देवा के जीवनकाल में ही गोद चल गया तथा विरासत से गोद पिता नोला की पत्नि सजनी के फौत हो जने पर प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोती जी के नाम पर नामान्तरकरण खुल गया । जिसकी प्रमाणिकता में नामान्तरकरण की नकल एवं जमाबंदी संवत 2033 से 2036 की नकल पत्रावली में संलग्न है। जिसमें

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नोला ढोली के फौत हो जाने के पश्चात विधवा सजनी व जमाबंदी संवत 2037 से 2040 तक जिसमें सजनी बेवा नोला फौत के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 के पिता/ मोती का इन्तकाल खोला गया जिससे साफ जाहिर होता है कि मूल पुरूष देवा की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 2/प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता का कोई हक अधिकार नहीं रहा है एवं दूसरे पुत्र सूरजमल द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3/प्रत्यर्थी संख्या 1 को विक्रय कर दिये जाने से सूरजमल के फुटस्टेप पर प्रत्यर्थी संख्या 1 आ गई। एक पुत्र मांगीलाल जो/अपीलार्थीया वादिया के पिता है की मृत्यु मूल पुरूष के पूर्व हो जाने से तथा राजस्व रेकार्ड में उसका अंकन नहीं किया गया । परन्तु मूल पुरूष देवा द्वारा छोडी गई भूमि में अपीलार्थीया/वादिया व प्रत्यर्थी संख्या 2 का बराबर–बराबर 1/2 हक व हिस्सा रहता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया । ग्राम आशाहोली की जमाबंदी खतौनी संवत 2012 से 2015 में वादग्रस्त आराजी जिसके साबिक आराजी नम्बर 1065/8 रकबा 5 बीघा जिसका खातेदार देवा पिता भेरा ढोली अंकित किया गया है। देवा की मृत्यु के उपरान्त विरासत से जो इंतकाल खोला गया । उसके संबंध में ग्राम आशाहोली की जमाबंदी संवत की सत्य फोटो प्रति का अवलोकन किया गया जिसमें विरासत से देवा के बजाय सूरजमल , मोती पिता देवा ढोली का नाम दर्ज है। इससे यह तथ्य प्रमाणित है कि तीसरे पुत्र यानि अपीलार्थीया/वादिया गीता के पिता मांगीलाल का नाम दर्ज नहीं किया गया है। अपीलार्थीया/वादिया का कथन है कि अपीलार्थीया के काका/प्रतिवादी संख्या 2/प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोती ग्राम कालू खेडा में नोला पिता घीसा ढोली के यहॉ मूल पुरूष देवा जी के जीवनकाल में ही गोद चले

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गये थे। इस सबंध में ग्राम कालूखेडा की जमाबंदी संवत 2033 से 2036 का अवलोकन किया गया । जिसमें ग्राम कालूखेडा की आराजी नम्बर 40 लगायत 44 एवं 48 लगायत 51 तथा आराजी नम्बर 91 कुल किता 10 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार नोला दर्ज थे। जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में आराजी नम्बर 40, 41, 42 के विक्रय के उपरान्त बची शेष आराजी नम्बर 43 लगायत 44 एवं 48 लगायत 51 तथा आराजी नम्बर 91 विरासत से नोला पिता घीसास ढोली के बजाय उनकी पत्नी सजनी बेवा के नाम पर 28.8.1981को खोला गया । सजनी की मृत्यु के उपरान्त विरासत से इन्तकाल सजनी के बजाय मोती पिता मोती पिता नोला ढोली के नाम दिनांक 10.6.84 पर खोला गया । मोती की मृत्यु के उपरान्त मोती को उसके गोद पिता के यहॉ से मिली आराजियात जो कि कालू खेडा में स्थित है जिसमें विरासत से कंकू का नाम नामान्तरकरण संख्या 213 दिनांक 19.7.1993 को खोला गया। जो वर्तमान जमाबंदीसंवत 2065 से 2068 में कंकू पुत्री मोती के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। इससे यह तथ्य बखूबी प्रमाणित होता है कि मोती लाल आत्मज देवा जो कि अपीलार्थीया के काका होकर कंकू के पिता है। ऐसी स्थिति में जब मोती अपने पिता के जीवन काल में ही नोला के यहॉ गोद चले गये तो उनका हक अपने पिता देवा की सम्पति में समाप्त हो जाता है। देवा के पुत्र सूरजमल ने हाल आराजी नम्बर 163, एवं 164 में से अपने हिस्से तक की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2009 को श्रीमती लाली पत्नि गणेश लाल नायक को विक्रय कर दी है जिसे प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया है। चूंकि देवा की मृत्यु के उपरान्त विरासत से इन्तकाल सूरजमल तथा मोती के नाम पर ही खोला गया था। ऐसी स्थिति में देवा की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात में मोती का 1/2 तथा सूरजमल का 1/2 हक निहित रहा । चूंकि सूरजमल ने अपना 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिया तथा मोती नोला पिता घीसा ढोली निवासी कालू खेडा के यहॉ गोद चला गया इसलिए मोती के 1/2 हक हिस्से की अधिकारिणी अपीलार्थीया हो जाती है चूंकि उसके पिता मांगीलाल का नाम विरासत से इन्तकाल के समय नहीं लिखा गया था। प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल द्वारा भी वादिया के दावे के कथनों के पक्ष में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए देवा की हाल आराजी नम्बर 1463 एवं 1464 में 1/2 हिस्से तक मांगी लाल जो कि देवा का पुत्र था का 1/2 का हिस्सेदार मानते हुए मांगीलाल के स्थान पर अपीलार्थीया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार मोती लाल का नाम हटाया जाकर घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.9.2011 को निरस्त किया जाता है तथा मौजा आशाहोली की हाल आराजी नम्बर 1463 एवं 1464 में से 1/2 हिस्से में मोती अथवा मोती के वारिसान का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर अपीलार्थीया/वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । 27/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/307/2016

उनवान

2. गीता उर्फ प्रेम पुत्री मांगी लाल ढोली पत्नी भगवान लाल ढोली निवासी आशाहोली हाल खूंटिया , तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

4. श्रीमती कंकू पुत्री मोती लाल ढोली पत्नि गणपत लाल ढोली निवासी लाम्बिया खुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. श्रीमती लाली देवी पत्नी गणेश नायक, निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के प्रकरण संख्या 78/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.9.2011

अभिभाषक : 1. श्री राकेश सुराणा , अधिवक्ता अपीलार्थी

2.प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/307/2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, रायपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 27.3.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री राकेश सुराणा वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की एकतरफा कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 27.3.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.9.2011 को निरस्त किया जाता है तथा मौजा आशाहोली की हाल आराजी नम्बर 1463 एवं 1464 में से 1/2 हिस्से में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मोती अथवा मोती के वारिसान का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर अपीलार्थीया/वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.3.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

27/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडिण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस